

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 11/06/2021

विषय—

श्री शंकर सिंह द्वारा गया जिलान्तर्गत मारनपुर ग्राम के खाता संख्या-46, प्लॉट संख्या-40, थाना—विष्णुपद में गया—वाजीरगंज—हिसुवा NH-82 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03225 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

आपका पत्रांक 421, दिनांक 28.04.2021,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/44829/2020/4370, दिनांक 26.11.2020 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,52,635.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219944829897, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 10.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-PUNBR52021061011919734 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.03225 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 20,189.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219944829897, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 10.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-PUNBR52021061011919734 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 10.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

Shankar Singh

शंकर सिंह,

मोहल्ला-खटकचक मोड,

मरानपुर, पोस्ट-चाँद चौरा,

थाना-विष्णुपद,

जिला-गया, पिन-823001



पता : पॉस्ट बॉक्स नं. 1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत। पिन कोड : 110003, New Delhi-110003

शा.का. / B.O. : Chand chaura
दिनांक / Date : 10/06/2021

नकद / चेक / मुगलान आदेश / बचत निधि / ओडी / सीसी के
नाम से Shankar Singh आरटीजीएस / एनईएफटी /
ड्राफ्ट के अनुरोध के साथ प्राप्त हुए।

Received Cash / Cheque / Pay Order / request to debit /

SF/CA/OD/CC with ₹ 7,72,824/-

(Repees in words Seven Lakh Seventy inds

two thousand eight hundred

towards RTGS/NEFT/Draft Twenty four

पक्ष में / Fvg. : BIHAR CAMPA

बैंक / Bank : Union Bank of India 29/2020

शाखा / Branch : Lodhi Complex

खाता संख्या / Account No. : 1506219944829 Moe,

आईएफएस कोड / IFS Code : UBIN0903710 d

प्राप्ति का तिथि / Date of Receipt : 10/06/2021 adGaya

प्राप्ति का समय / Time of Receipt :

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219944829897 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2021

Agency Name.	SHANKAR SINGH
Application No.	19944829897
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/44829/2020
Location.	BIHAR
Address:	Village-Khatkachak Moe, Maranpur, PO-Chand Chaura, PS-vishnupad Gaya
Amount(in Rs)	772824/-

Amount in Words : Seven Lakh Seventy-Two Thousand Eight Hundred and Twenty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219944829897 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

(24)

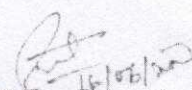
कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निमाण
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....1402/5.....दिनांक.....17.6.20.....

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी शंकर सिंह द्वारा गया जिला अंतर्गत खाता सं०-46, खेसरा-40, मौजा-माइनपुर, धाना-विष्णुपद, अंचल-नगर के एन०एच०-82 पथ के किनारे बी०पी०सी०एल० का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रैखिक परियोजना में वन भूमि 0.03225 हे० रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1910 दिनांक 09.05.2020 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी,
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.

District Magistrate
Gaya.